

उत्तरांचल शासन  
कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग  
संख्या-1379 / कृषि / 1(3) / 2002.  
देहरादून: दिनांक: 29 अक्टूबर, 2002

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तरांचल में रबी 2002-03 से लागू की जा रही राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की समय-समय पर मानीटरिंग, समीक्षा आदि के लिए निम्नवत जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति गठित की जाती है:-

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3. सचिव, जिला सहकारी बैंक	सदस्य
4. प्रबन्धक, लीड बैंक	सदस्य
5. भारतीय साधारण बीमा निगम के प्रतिनिधि	सदस्य
6. परियोजना अधिकारी (कृषि)/जिला कृषि अधिकारी	सदस्य/सचिव

उक्त समिति जनपद में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन जी0आई0सी0 के माध्यम से प्रभावी रूप से सुनिश्चित करायेगी तथा इस सम्बन्ध में मासिक रिपोर्ट, सचिव, कृषि को प्रेषित करेगी। यह समिति खण्ड विकास अधिकारियों एवं बहुउद्देशीय कर्मियों की इस योजना में पूरी सहभागिता हेतु प्रभावी निर्देश निर्गत करेगी।

(बी0पी0पाण्डेय)

सचिव

संख्या-1379(1) कृषि/1(3)/2002. तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तरांचल शासन.
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल.
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल.
4. अपर कृषि निदेशक, उत्तरांचल.
5. समस्त परियोजना अधिकारी(कृषि)/जिला कृषि अधिकारी, उत्तरांचल.
6. समस्त सचिव जिला सहकारी बैंक, उत्तरांचल.
7. प्रबन्धक, लीड बैंक, उत्तरांचल.
8. भारतीय साधारण बीमा के प्रतिनिधि, उत्तरांचल.

(डा0पी0एस0गुसाई)

अपर सचिव